कृपया प्रकाशनार्थ **5 दिसंबर 2011**

भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व पेट्रोलियम मंत्री श्री. राम नाईक ने मुंबई में सोमवार, 5 दिसंबर को पत्रकार परिषद में जारी किया वक्तव्य

पुनर्वासन पर गुमराह करनेवाले विज्ञापन पर 1 करोड खर्चा क्यों ?
तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों का आक्रोश

मुंबई, सोमवार :''तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों का अब तक सही मायनों में पुनर्वासन तो हुआ नही हैं, फिर भी अखबारों में इस बात पर पुरे पन्ने का रंगीन विज्ञापन देकर न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरेशन ने (एनपीसी) प्रकल्पपीडितों के जखमों पर नमक छिडका है. यह विज्ञापन याने पैसे का गलत इस्तेमाल तो है ही, साथ ही साथ जनता को गुमराह करनेवाला भी है,'' ऐसे शब्दों में भाजपा नेता व पूर्व केंद्रिय मंत्री श्री. राम नाईक ने अपनी नाराजगी जतायी है. तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्पपीडितों को न्याय दिलाने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल हुई है जिसमें स्वयं श्री. नाईक भी शामील है. इसी संदर्भ में आज श्री. नाईक पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे.

सरकार के रवैये से नाराज श्री. राम नाईक ने अपनी भूमिका बताते हुए आगे कहा, ''तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प 3 व 4 के माध्यम से कुल 1,080 मेगॅवैट बिजली का उत्पादन होता है. जब मैं केंद्र सरकार में योजना व कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री था तब अक्टूबर 1998 में मैंने ही इस प्रकल्प का शिलान्यास किया था. इस योजना के कारण अक्करपट्टी व पोफरण देहातों में रहनेवाले 1,250 परिवारों को वहाँ से हटा कर उनका पुनर्वास करने की आवश्यकता निर्माण हुई. इनमें से अधिक तर किसान व मछुआरें हैं. साथ ही साथ 170 हेक्टर जमीन भी इस प्रकल्प के लिए भूसंपादित की गयी. कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्यमंत्री के नाते मैंने स्वयं इन ग्रामवासियों को तब आश्वासित किया था कि उन्हे जमीन के बदले जमीन दी जाएगी, नए मकान बना कर दिए जाएंगे, उनका सही मायने में पुनर्वास किया जाएगा. साथ ही साथ प्रधानमंत्री मा. श्री. अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रि परिषद ने भी वर्ष 2003 में पुनर्वास के लिए ठोस राष्ट्रीय नीति बनायी. स्वाभाविकतः ग्रामस्थों ने पुरा सहयोग दिया जिसके चलते प्रकल्प का काम तेज रफ्तार से होने लगा. किंतु जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और डा. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने दोनो ही गाँवों के ग्रामवासियों को पुनर्वासन के पहले ही सख्ती से गाँवों से हटाया गया. इसके लिए बड़ी मात्रा में पुलीस भी बुलायी थी. परिणामस्वरुप प्रकल्पपीडितों ने मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की. मैं स्वयं पिछले सात वर्षों से न्यायालय में प्रकल्पपीडितों को न्याय दिलाने हेतु लड़ रहा हूँ.''

..2..

''प्रकल्पपीडितों ने प्रकल्पनिर्माण में बाधा निर्माण न करते हुए पुरा सहयोग दिया था जिसके कारण संयंत्र क्र. 4 से निर्धारित समय के 230 दिन पहले याने सितंबर 2005 से ही, तो संयंत्र क्र. 3 से भी निर्धारित समय के पहले 166 दिन याने अगस्त 2006 से ही प्रति युनिट 540 मैगेवैट याने कुल 1,080 मैगेवैट बिजली मिलना प्रारंभ हुआ. जो 396 दिन बचे उनकी किंमत रुपैये में करें तो प्रकल्प जल्दी पुरे होने के कारन रु. 396 करोड़ यांने रु. 400 करोड़ बच गये. इतनाही नही तो इस योजना के लिए रु. 6,525 करोड़ की लागत का प्रावधान था, मगर वास्तव में इस पर रु. 6,100 करोड़ ही खर्च हुए. याने यहाँ भी रु. 425 करोड़ की बचत हुई. इसका साफ मतलब यह है कि एनपीसी के प्रकल्प पर कुल रु. 825 करोड़ बच गए. वैसे तो आम तौर पर जल तथा बिजली प्रकल्पों के निर्माण के समय प्रकल्प के खर्चे के 5 प्रति शत पुनर्वसन पर खर्चा किया जाता हैं. इस प्रथा के अनुसार रु. 6,100 करोड़ के इस प्रकल्प से बाधित लोगों के पुनर्वसन पर रु. 305 करोड़ तक खर्चा किया जा सकता हैं. मगर स्वयं एनपीसी ने ही दिए विज्ञापन से जाहीर है कि मात्र रु. 86 करोड़ ही पुनर्वसन पर खर्च हुए है. सरकार अब भी और रु. 219 करोड़ खर्च कर सकती है फिर भी वैसा न होने के कारण पिछले सात वर्षों से हम न्यायालय में लड़ रहे हैं,'' ऐसा श्री. नाईक ने कहा.

''इस समय अखबारों में विज्ञापन देने के पिछे क्या उद्देश है यही समझ में नही आता. एक ओर प्रकल्पपीडितों को उनके अधिकार देने के लिए खर्चा करने के लिए एनपीसी, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार आनाकानी करता है और दुसरी ओर रंगीन विज्ञापनों पर लगभग एक करोड बहा देता है इसलिए प्रकल्पपीडितों को गुस्सा आया है,'' ऐसी जानकारी भी श्री. राम नाईक ने दी. इस विज्ञापन में तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प से पिछले पाच वर्षों से 1,080 मेगैवैट बिजली मिल रही है इसका जिक्र भी नहीं किया गया ऐसा भी श्री. राम नाईक ने अंत में कहा.

(कार्यालय मंत्री)